कार्यालयः: राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश
सी–1, विक्रान्त खण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांकः 3681 / एस.सी.डी.आर.सी. / अभि. / आर–01 / 2020 दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

आदेश

मा. राष्ट्रीय आयोग के DIARY NO.13929-13932/NCDRC/2020 व उससे संबंधित 09 अन्य प्रकरणों में दि. 12.10.2020 को पारित आदेश के आलोक में राज्य आयोग में भी दाखिल होने वाली प्रथम अपीलों के संदर्भ में निम्नवत् आदेश पारित किया जाता है :–

"राज्य आयोग में दाखिल होने वाली ऐसी अपीलें, जिनसे संबंधित परिवाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के लागू होने की तिथि 20.07.2020 के पूर्व जिला आयोग में दाखिल हो चुके हैं उससे संबंधित अपीलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 41 के द्वितीय परन्तुक के अधीन अपेक्षित धनराशि के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15 के परन्तुक के अधीन अपेक्षित धनराशि जमा की जायेगी।"

A.H.Khan 16/10/2020

(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मा. सदस्यगण, राज्य आयोग, उ.प्र.।
2. संयुक्त निबंधक, मा॰ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उपभोक्ता न्याय भवन, एफ् ब्लाक, जनरल पूल ऑफिस काम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली को उनके ई–मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रांक A-2(SC/NCDRC/2020 दि. 14.10.2020 के संदर्भ में।
3. वरि.प्रशा.अधि., निबंधन / सहा.लेखाधिकारी / वरि.प्रशासनिक अधिकारी, राज्य आयोग, उ.प्र.।
4. प्रशासनिक अधिकारी (अभिलेखागार), राज्य आयोग, उ.प्र.।
5. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान), राज्य आयोग, उ.प्र. को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
6. संबंधित सहायक कार्मिक, फाइलिंग अनुभाग, राज्य आयोग, उ.प्र.।
7. पदाधिकारीगण, एल्डर कमेटी, ऑल यू.पी. कंज्यूमर प्रोटेक्शन बार एसोसिएशन, लखनऊ।
8. नोटिस बोर्ड।

16/10/2020

(निकुंज मित्तल)
निबन्धक